न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, सिकंदरा

प्रपत्र सं० ६६५ ।

[स्थायी रूप से उपयोगीय]

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

Notice upload 24-2-18

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

विविध विभाग

SAR 06/16-17 रजिस्टर सं०

श्री अकबर मांझी वगैरह बनाम चन्दर साव

के अधीन

अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्रमांक सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या	...	...	अनुचित
१	२	३	४	५	६	७

18-11-16, 10-12-16, 7-12-16, 11-1-17, 8-2-17, 1-3-17, 3-4-17, 26-4-17, 29-5-17, 28-6-17, 2-8-17, 28-8-17, 11-10-17, 27-11-17, 1-1-18, 14-2-18

21-3-18, 6-6-18, 28-7-18, 12-9-18, 5-12-18, 16-1-19, 20-2-19, 22-5-19, 10-7-19, 4-9-19, 6-11-19, 5-2-20, 25-3-20

11-11-2020, 9-12-2020, 13/7/2021, 07/8/2021, 17/8/21, 18/8/2021, 20/10/21, 18/12/21, 11-2-22, 18/2, 7/4/22, 28/4/22, 14/7/22, 23/8/22, 30-9-22, 22/11/22

Scanned with CamScanner

आदेश–पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता0.......................से ....तक अकबर मांझी

जिला–सिमडेगा, संख्या SAR 06/2016-17

केस का प्रकारः– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम

चन्दर साव

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	श्री अकबर मांझी पिता स्व0 हाकुड़ मांझी साकिन गोरारजोर थाना केरसई जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी चन्दर साव पिता स्व0 गोपाल साव साकिन– गोरारजोर थाना केरसई जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	30.8.16 21.10.16 18.11.16

ग्राम	खाता सं0–	प्लॉट सं0	रकबा
गोरारजोर	49	485	0.05
		486	0.25
		499	1.78
		3	कुल 2.08 एकड़

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 14-5-2016 को उपस्थापित करें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 06/2016–17
दिनांक.....

अकबर मांझी
बनाम
चन्दर साव

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक अकबर मांझी, पिता–हाकुड़ मांझी, साकिन–गोरारजोर, थाना–केरसई, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी चन्दर साव, पिता–स्व0 गोपाल साव, साकिन–गोरारजोर, थाना–केरसई, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–06/2016–17 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
गोरारजोर	49	485	0.05 एकड़
		486	0.25 एकड़
		499	1.78 एकड़
			कुल–2.08 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, केरसई को इस न्यायालय के पत्रांक 162(ii)/विधि, दिनांक 26.04.2016 एवं पत्रांक 120/विधि, दिनांक 18.02.2022 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, केरसई के द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हेाता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 04.09.2019 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–06/2016–17 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 18:07:32 +05:30
Location: 192.168.202.80

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Scanned with CamScanner